इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 मार्च 2018—फाल्गुन 30, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-16-2-18-बाईस-पी-2 भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2018

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 2018 में पूर्व में प्रकाशित किए गए हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. विद्यमान नियम 7-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"7-क. वर्तमान में कार्यरत् मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के गुरूजी/पर्यवेक्षकों तथा सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा

पर्यवेक्षकों में से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पद पर नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध–

(1) वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के कार्यरत् तथा नियमानुसार नियुक्त किए गए गुरूजी तथा पर्यवेक्षकों की संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) सरकार के तत्कालीन औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों की, जिसने 31 मार्च, 2000 को 1 वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो या 31 मार्च तथा 29 अगस्त, 2000 के बीच की किसी भी दिनांक तक एक वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(3) उप–नियम (1) एवं (2) के अधीन नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को ऐसी एजेंसी द्वारा जो राज्य सरकार के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संचालित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

(4) पात्रता परीक्षा केवल दो बार आयोजित की जाएगी। मानक और न्यूनतम अर्हक अंक राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकेगें।

(5) उप–नियम (3) के अधीन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थी को ऐसी अर्हताएं रखनी चाहिए जो इन नियमों को अनुसूची–दो के अनुक्रमांक 3 के सामने कॉलम (5) में विहित की गई है।

(6) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के पद पर नियुक्ति के पश्चात् अभ्यर्थी इन नियमों में विहित किए गए अनुसार वही संविदा रकम या ऐसी रकम, जो वे अपने पूर्व पद पर प्राप्त कर रहे थे, इनमें से जो भी अधिक हो, प्राप्त करेंगे।

(7) उक्त नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात्, अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि इन नियमों में विहित की जाएं।"।

2. यह संशोधन तारीख 1 जनवरी, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जाए।

No. F-16-2-18-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of year 1994), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules 2005, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 2nd February, 2018 as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For the existing rule 7-A, the following rule shall be substituted, namely:-

"7-A. Special provision for appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade 3 from present working Guruji/Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme and Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers.

(1) The present working and as per rule appointed Guruji and Supervisors of Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme may be appointed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3.

(2) Instructors and Supervisors of erstwhile Government Non Formal Education Centers who had worked continuously for one year as on 31st March, 2000 or worked continuously up to one year till any date in between the 31st March and 29th August, 2000 may be appointed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3.

(3) For the appointment under sub-rule (1) and (2), the candidate should pass the eligibility examination conducted by such an agency as may be specified by the order of the State Government.

(4) Eligibility examination shall be organised only two times. The norms and minimum qualifying marks may be specified by executive order of the State Government.

(5) For appearing in the examination under sub-rule (3), the candidate should possess the qualification as prescribed in column (5) against serial number 3 of Schedule-II of these rules.

(6) After appointment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3, the candidate shall get the same contract amount as prescribed in these rules or as they were getting on the previous post, whichever is more.

(7) The maximum age limit should not be more than 62 years for said appointment.

(8) After the appointment under this rule, the other service conditions shall be such as prescribed in these rules.".

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st January 2008.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.